राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/गाईड लाईन/75059/2010–11 जयपुर, दिनांक : 10 APR 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जॉब कार्ड सत्यापन के संबंध में।**
संदर्भ :– **विभागीय पत्रांक दिनांक 25.11.2016**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, **भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों** के क्रम में संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत **नरेगा सॉफ्ट पर इन्द्राज समस्त जॉबकार्ड**, जिनका विस्तृत विवरण **ग्राम पंचायत स्तर की रिपोर्ट में "जॉबकार्ड सत्यापन (Job card verification)"** के नाम से उपलब्ध है, के अनुरूप **सत्यापन का कार्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में अभियान के रूप** में किया जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि इस अभियान में **ग्राम पंचायत पर कार्यरत ग्रामसेवक, कनिष्ठ लिपिक, रोजगार सहायक द्वारा घर–घर जाकर** जॉबकार्ड में वर्णित विवरण की समस्त जानकारी प्राप्त कर इसे **पंचायत समिति स्तर** पर कार्यरत **एम.आई.एस. मैनेजर द्वारा नरेगा सॉफ्ट में अपडेट कराया** जावे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के श्रम बजट 2017–18 के अनुमोदन के दौरान जॉबकार्ड सत्यापन के कार्य पर ध्यान आकृष्ट करते हुए योजनान्तर्गत जारी समस्त जॉबकार्ड के सत्यापन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने के निर्देश देते हुए दिनांक 30.04.2017 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये है। जिलेवार लक्ष्य की प्रति संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आपके स्तर पर योजना की वैबसाइट पर राज्य के पेज पर उपलब्ध "Verification of Jobcards" रिपोर्ट से सघन मॉनिटरिंग करते हुये निम्नानुसार कार्यवाही की जावें :–

1. जॉबकार्डधारी परिवारों के **सर्वे की कार्यवाही करते हुए दिनांक 30.04.2017 तक के** लक्ष्यों के अनुरूप जॉबकार्ड सत्यापन का कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण किया जावे।
2. नियत तिथि तक **कार्य पूर्ण नहीं करने पर संबन्धित विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा तथा ग्राम पंचायत कार्मिकों के विरूद्ध महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के सैक्शन 25 के तहत कार्यवाही** की जावे तथा राज्य सरकार को इस बाबत अवगत कराया जावे।
3. सरपंच/ग्राम सेवक/ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ लिपिक/मेट आदि के पास श्रमिकों के जॉबकार्ड **इकट्ठा रखना अवैध कृत्य** है अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि **जॉबकार्ड सदैव श्रमिक के पास ही रहे।**

निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

भवदीय,

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

9/04/17
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
4. आयुक्त, ईजीएस।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त राजस्थान।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान बाडमेर।
7. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा, पंचायत समिति समस्त।

परि. निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस